6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY
(संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/FIN/F-3/2018/99/Vol-I/1317

दिनांक: 16.03.2020

परिपत्र - 10/2020

विषय : 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से बकाया शिशु शिक्षा भत्ते (सीईए)/छात्रावास सब्सिडी का भुगतान

यह सभी नियमित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सूचनार्थ है कि एमएचआरडी/यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों, समकक्ष शैक्षणिक कर्मचारियों, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक के भत्तों के संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसी तरह, एमएचआरडी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयूएस) के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के भत्तों के संशोधन को भी मंजूरी दी गई थी। विश्वविद्यालय ने दिनांक 1 जुलाई 2017 से अन्य भत्तों के संशोधन को कार्यान्वित किया है।

आदेश के अनुसार शिशु शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की संशोधित दर अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति माह (निश्चित) रु. 2250/- होगी और प्रत्येक बच्चे के लिए छात्रावास सब्सिडी प्रतिमाह रु. 6,750/- होगी। लेकिन 2018-19 तक विश्वविद्यालय ने शिशु शिक्षा भत्ता/ छात्रावास सब्सिडी को असंशोधित/पुरानी दरों पर प्रतिपूर्ति कर दी है।

अतः, सभी नियमित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से निवेदन है कि वे वर्ष 2017-18 (01.07.2017 से 31.03.2018 तक), 2018-19 और 2019-20 (यदि हो तो) की अंतर राशि अर्थात प्रति माह रु. 750 का दावा निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 27 मार्च , 2020 तक जमा करें। वर्ष 2017-18 के लिए बाल शिक्षा भत्ता (01.07.2017 से 31.03.2018 तक), 2018-19 और 2019-20 (यदि हो तो) **निर्धारित प्रारूप में 27 मार्च, 2020 तक निश्चित रूप से** जमा करें। शिशु शिक्षा भत्ता / छात्रावाससब्सिडी जारी करने के लिए अन्य शर्तें लागू होंगी।

देवाशीष पाल

(देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. परीक्षा नियंत्रक का निजी सचिव
4. पुस्तकालयाध्यक्ष
5. सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
6. आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
7. सभी शिक्षण कर्मचारी (ईमेल द्वारा)
8. सभी गैर-शिक्षण कर्मचारी (ईमेल द्वारा)
9. वैबसाइट समिति - विश्वविद्यालय वैबसाइट में अपलोड करने हेतु
10. सभी सूचना पट
11. सुरक्षा फ़ाइल